न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19/2021 (राजसमन्द आर्डर)

रमेशचन्द्र पिता अम्बालाल जी टांक, निवासी पड़ासली, तहसील व जिला राजसमन्द।

..... अपीलान्ट

बनाम

1. कंचनदेवी पत्नी फतहलाल जी टांक, निवासी पड़ासली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजकुमार पिता फतहलाल जी टांक, निवासी पड़ासली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द दिनांक
19–10–2020 प्रकरण सं0 631/2015

———::———

उपस्थित :– 1– श्री एस.एस. पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1, 2

———::———

निर्णय **दिनांक 30–10–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पडासली में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित कुल किता 12 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है, जो प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के शामलाती दर्ज। विपक्षी संख्या 2 विपक्षी संख्या 1 का पुत्र है। विपक्षीगण बलपूर्वक निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं तथा रोकने पर लड़ाई–झगडा करते हैं। अतः मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 व 2 ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा निवेदन किया कि विवादित भूमि में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 व 2 के सहखातेदारी की होकर विपक्षी संख्या 1 व 2 का 4/5 हिस्सा है, जिसका मौके पर आपसी सहमति से बंटवारा होकर प्रार्थी व विपक्षीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:03:06 IST
Reason: SelfAttested

की आड़ में उक्त भूमि पर अवैध रूप से शराब की दुकान संचालित कर रहा है, जिसे वादी/प्रार्थी ने छुपाया है। प्रार्थी स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 19–10–2020 से प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24–08–2021 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री मुकेश तलेसरा उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के सन्दर्भ में वक्त बहस निवेदन किया कि कोरोना महामारी के कारण अपीलान्ट अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका। दिनांक 26–07–2021 को अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः विलम्ब कण्डोन कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि प्रार्थी/अपीलान्ट को शुरू से उक्त निर्णय की जानकारी थी तथा प्रत्येक दिन की देरी का कोई समुचित कारण नहीं बताया है तथा लॉकडाउन का मिथ्या बहाना बना रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर अवलोकन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र निषेधाज्ञा के वाद प्रस्तुत करने एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो त्रुटिपूर्ण है। कानूनन किसी भी सहखातेदार को किसी विशिष्ट भाग पर निर्माण करने का अधिकार नहीं है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:03:06 IST
Reason: SelfAttested

ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा की तीनों बिन्दुओं को एक लाईन में प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होना नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में उसके द्वारा चाहा गया अनुतोष दिलाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा शराब की दुकान के तथ्य को छुपाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना मानते हुए स्वच्छ हाथों ने न्यायालय में नहीं आने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलान्ट स्वयं द्वारा विवादित आराजियात पर शराब की दुकान संचालित करने एवं वाद में विभाजन का अनुतोष नहीं चाहने के आधार पर उसका स्वच्छ हाथों से न्यायालय में आना नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। क्योंकि एक तरफ तो अपीलान्ट सहखातेदार रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाहता है, जबकि दूसरी ओर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सिर्फ स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है, बंटवारे का वाद प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है अपीलान्ट उक्त प्रार्थना पत्र की आड़ में सिर्फ रेस्पोन्डेन्टगण को पाबन्द करना चाहता है, बंटवारा कराना नहीं चाहता तथा स्वयं द्वारा शराब की दुकान संचालित कर रहा है, जिस तथ्य को छुपाकर उसके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं वाद प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलान्ट का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19–10–2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 30–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:03:06 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर